न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या – 73/2017 **दायर तारीख : 06.09.2017**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. श्रवण सिंह पुत्र मान सिंह जाति राजपूत निवासी लुहाकना कला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0 **——वादी**

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह } पुत्रान श्रवण सिंह(फौत)
2. महेन्द्र सिंह }
   - 2/1. सुनिता कवंर पत्नि स्व0 महेन्द्र सिंह
   - 2/2. कोमल कवंर पुत्री स्व0 महेन्द्र सिंह
   - 2/3. मेघना कवंर पुत्री स्व0 महेन्द्र सिंह
   - 2/4. आयुष सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह
3. भंवर कवंर पत्नि श्रवण सिंह
4. राज कवंर }
5. हंसा कवंर } पुत्रियान श्रवण सिंह
6. बन्नी कवंर }
7. मानसिंह पुत्र श्रवण सिंह

(क्रमांक 1 से 7) समस्त जाति राजपूत निवासी लुहाकना कला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
9. सब रजिस्ट्रार कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0। **—— प्रतिवादीगण**

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री बालकृष्ण शर्मा, अधिवक्ता वादी
श्री गुरूशरण दास गौतम, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6
श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1
पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:23 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 28.08.2019

1. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार रहे कि वादी ग्राम लुहाकना कला के खसरा नंबर 800/1.43, 76/0.56, 84/1/0.05 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 बराबर हिस्सा 1/7–1/7 हिस्सा के खातेदार काबिज काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आराजी मुतनाजा का राजस्व रिकॉर्ड भी शामिल में है तथा लगान भी शामिल में अदा की जा रही है। जब तक तकास्मा नही होता तब तक प्रत्येक इचं भूमि पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता है तथा बिना तकास्मा किसी भी खातेदारान को भूमि को बेचान करने का, रहन करने का, भूमि की किस्म

भूमि के विशेष भू–भाग को बेचान करने का अधिकार नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आराजी मुतानाजा का बाहमी बंटवारा कर रखा है, परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। एवं प्रतिवादी संख्या 7 जो की वादी का पुत्र है जिसने न्यायालय श्रीमान के आदेश से उपरोक्त आराजी खसरा नंबरान में बंटवारा कर लिया है तथा बंटवारे के अनुसार आराजी खसरा नंबर 800/1.74 के नवीन खसरा नंबर 800/1/0.31 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण वादी को आराजी मुतनाजा को किसी दिगर व्यक्ति को बेचान करने की धमकियां देते है तथा आराजी मुतनाजा का बिना तकास्मा कराए बेचान करने, रहन करने एवं किस्म परिवर्तन करने की धमकिया देते है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम लुहाकना कलां के खसरा नंबर 800/1.43, 76/0.56, 84/1/0.05 हैक्टेयर भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य बराबर हिस्सा 1/7–1/7 का हिस्सेदार काश्तकार घोषित किया जावें। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 194 संवत् 2063–2072, नकल जमाबंदी खाता संख्या 16 संवत् 2070–73, नकल नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 800, नकल नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 84 व 76 आदि पेश किए है।

3. दावा बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 जरिए अधिवक्ता उपस्थित। जवाब दावा पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।

4. प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के जवाब दावा में कथन रहे कि वाद पत्र में वर्णित आराजी मुतनाजा का हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 को खातेदार काश्तकार घोषित कर भूमि का तकास्मा कर दिया जावें।

5. प्रतिवादी संख्या 7 के जवाब दावा में कथन रहे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 एवं वादी मिलकर प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्व एक नाजायज संगठन बना रखा है, जिन्होने प्रतिवादी संख्या 7 को न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2012 को बंटवारा में प्राप्त भूमि खसरा नंबर 800/1 रकबा 0.31 हैक्टेयर की काश्त में बेजा दखल करते रहते है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को न्यायालय श्रीमान में अपने [illegible] में प्रतिवादी संख्या 7 को बंटवारे में प्राप्त भूमि के लिए हमेशा–हमेशा के [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया था, परन्तु उक्त [illegible] न्यायालय श्रीमान के आदेश व डिक्री की अवहेलना करते हुए प्रतिवादी संख्या 7 की काश्त में अव[illegible] उत्पन्न करते है। एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने मिलकर प्रतिवादी संख्या 7 की खातेदारी भूमि व बंटवारे में प्राप्त खसरा नंबर 800/1/0.21 हैक्टेयर में जबरन, बिना सहमति के रिहायशी मकान का निर्माण कर लिया, जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने जानबूझकर न्यायालय श्रीमान के स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश की अवहेलना की है।

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री सुनी गई। दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने की तहरीर जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. तहसीलदार विराटनगर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई।
8. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
9. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम लुहाकना कला के खसरा नंबर 800/1.43, 76/0.56, 84/1/0.05 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बराबर हिस्सा 1/7–1/7 हिस्सा के खातेदार काबिज काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आराजी मुतनाजा का राजस्व रिकॉर्ड भी शामिल में है तथा लगान भी शामिल में अदा की जा रही है। जब तक तकास्मा नही होता तब तक प्रत्येक इचं भूमि पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता है तथा बिना तकास्मा किसी भी खातेदारान को भूमि को बेचान करने का, रहन करने का, भूमि की किस्म परिवर्तन करने का, भूमि के उपर लोन लेने का, भूमि पर निर्माण कार्य करने का, भूमि के विशेष भू–भाग को बेचान करने का अधिकार नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आराजी मुतानाजा का बाहमी बंटवारा कर रखा है, परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। एवं प्रतिवादी संख्या 7 जो की वादी का पुत्र है जिसने न्यायालय के आदेश से उपरोक्त आराजी खसरा नंबरान में बंटवारा कर लिया है तथा बंटवारे के अनुसार आराजी खसरा नंबर 800/1.74 के नवीन खसरा नंबर 800/1/0.31 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण वादी को आराजी मुतनाजा को किसी दिगर व्यक्ति को बेचान करने की धमकियां देते है तथा आराजी मुतनाजा का बिना तकास्मा कराए बेचान करने, रहन करने एवं किस्म परिवर्तन करने की धमकिया देते है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी ने जरिए अधिवक्ता आपत्ति पेश की गई थी, परन्तु बाद में शामिल वादी ने इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि तहसीलदार विराटनगर द्वारा पूर्व में दिनांक 22.06.2018 को पेश कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी जरिए अधिवक्ता ने आपत्ति पेश की जिसे श्रीमान न्यायालय ने स्वीकार फरमाते हुए पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने का आदेश दिनांक 03.01.2018 को दिये थे। प्रार्थी उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर पेश आपत्ति वापस लेता है तथा दिनांक 09.06.2018 को तहसीलदार विराटनगर द्वारा बनाई गई कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्री फरमाया जावें। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढ़कर समझाया गया जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:23 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

10. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	राजेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	800/2/0.2914 हैक्टेयर
2	श्रवण सिंह पुत्र मगन सिंह, महेन्द्र सिंह पिता श्रवण सिंह, भंवर कंवर पत्नि श्रवण सिंह, राजकंवर, हंसा कंवर, बन्नी कंवर पुत्रियान श्रवण सिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	800/1.1386 हैक्टेयर
3	श्रवण सिंह पुत्र मगन सिंह, महेन्द्र सिंह पिता श्रवण सिंह, भंवर कंवर पत्नि श्रवण सिंह, राज कंवर, हंसा कंवर, बन्नी कंवर पुत्रियान श्रवण सिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	76/0.56, 84/1/0.05 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:23 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. श्रवण सिंह पुत्र मगन सिंह जाति राजपूत निवासी लुहाकना कला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0 **––वादी**

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह } पुत्रान श्रवण सिंह(फौत)
2. महेन्द्र सिंह }
   - 2/1. सुनिता कवंर पत्नि स्व0 महेन्द्र सिंह
   - 2/2. कोमल कवंर पुत्री स्व0 महेन्द्र सिंह
   - 2/3. मेघना कवंर पुत्री स्व0 महेन्द्र सिंह
   - 2/4. आयुष सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह
3. भंवर कवंर पत्नि श्रवण सिंह
4. राज कवंर }
5. हंसा कवंर } पुत्रियान श्रवण सिंह
6. बन्नी कवंर }
7. मानसिंह पुत्र श्रवण सिंह

(क्रमांक 1 से 7 तक) समस्त जाति राजपूत निवासी लुहाकना कला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
9. सब रजिस्ट्रार कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0। **–– प्रतिवादीगण**

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 73/2017 **दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री बालकृष्ण शर्मा** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री गुरूशरण दास गौतम, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 एवं श्री धनश्याम गुर्जर, प्रतिवादी संख्या 7** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि ग्राम लुहाकना कला के खसरा नंबर 800/1.43, 76/0.56, 84/1/0.05 हैक्टेयर भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य बराबर हिस्सा 1/7–1/7 का हिस्सेदार काश्तकार घोषित किया जावें। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

सुना गया। प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 [illegible] के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	राजेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	800/2/0.2914 हैक्टेयर
2	श्रवण सिंह पुत्र मगन सिंह, महेन्द्र सिंह पिता श्रवण सिंह, भंवर कंवर पत्नि श्रवण सिंह, राजकंवर, हंसा कंवर, बन्नी कंवर पुत्रियान श्रवण सिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	800/1.1386 हैक्टेयर
3	श्रवण सिंह पुत्र मगन सिंह, महेन्द्र सिंह पिता श्रवण सिंह, भंवर कंवर पत्नि श्रवण सिंह, राजकंवर, हंसा कंवर, बन्नी कंवर पुत्रियान श्रवण सिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	76/0.56, 84/1/0.05 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 28.08.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:23 IST
Reason: SelfAttested

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख
28.08.2019 को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:23 IST
Reason: SelfAttested